



Date: 05 JUL 2023  
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH  
NOTARY  
GH/11/2023/11/23

GH 589066

(शरूप-"अ")

सन् 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का शरूप

हम सचिवों सिद्ध एवं अमित कुमार रायवशी कनरा, अध्यक्ष एवं सचिव श्री सचिवों प्रतुकेश्वर सिंह एवं वैदितेज ट्रस्ट, सामाजाती, डोहारी गाजीपुर शपथपूर्वक निम्नवत् वचन करते हैं-

1. यह कि, हमारी ट्रस्ट दयाल श्री बी आर अंबेडकर कॉलेज ऑफ फार्मसी बोरोसिया कदमपुर गाजीपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सन् 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि, हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम बोरोसिया (पत्र जहां पर भूमि स्थित है) में गाटा संख्या 185.1 रकबा 1.050 हेक्टेयर में से 0.810 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि, हमारे पास भूमि पर किसी प्रकार का बंधें भी बट किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि स्वतंत्र है।

NOTARY  
GH/11/2023/11/23

सचिवों

क्रमांक 2207/1810/2023

प्राप्त दिनांक 14/9

S/O श्री. आर. अशोक रते. 6-2023  
राज्यीय न्यायालय, उदुपि 50

श्री. अशोक रते. 6-2023  
राज्यीय न्यायालय, उदुपि 50

श्री. अशोक रते. 6-2023  
राज्यीय न्यायालय, उदुपि 50

29-8-23

29/8/23

NOTARY  
Udipi 50



4. यह कि, उपरोक्त प्लॉट पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 185.5 रकबा 1.050 हेक्टर में से 0.810 हेक्टर (कुल रकबा 0.810 हेक्टर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किन्हीं अन्य का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 02/03/2020 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त प्लॉट पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बंधित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश शर्तों के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टान प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30वां लखनऊ से सम्बंधित संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय अनुमोदित / सम्बंध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई.टी.आई. आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक कक्षा कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं अदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं शैक्षिक स्टाफ की तैयारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सब प्रांभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन / परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों / आदेशों का अतीतमति पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किले भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकनुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बंधित समिति द्वारा किये गये निर्णय अतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

13. मैं घोषणा करता / करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटप्रति अन्य वृद्धिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विश्वध परिषद द्वारा नियमानुसार कठून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ।

NOTARY  
G. S. SINGH

शक्ति श्री सिंह  
ह. अध्यक्ष



Shakti Singh

शक्ति श्री सिंह